

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2673 / 2021


दिनांक : 05.12.2021

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 06.12.2021 से 10.12.2021 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 05.12.2021 एवं 11.12.2021 से 12.12.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किये जाते हैं ।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 03-12-2021

कमांक:—स्था.बी.2(4)/110/2015/7479

दिनांक 05.12.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 9316 दिनांक 15.11.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार